6.9.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल की प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भाडू तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे उदयलाल के बजाय उदा लाल गाडरी व प्यारचन्द के बजाय प्यारालाल गाडरी एंव मगनीराम के बजाय मगना लाल गाडरी सही नाम अंकित राजस्व रिकार्ड मे करवाना चाहते है। जिसकी ताईद प्रस्तुत आधारकार्ड, निर्वाचन सूची, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि की फोटो प्रति से होती है। इसी के आधार पर प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे नाम अंकित करवाना चाहते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अत :

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भादू तहसील माण्डल के खाता सं. 14 मे अंकित आराजी नं. 2002 रकबा 0.2403 हे०, आराजी नं. 2007 रकबा 0.3162 हे०, आराजी नं. 2016 रकबा 0.4047 हे०, आराजी नं. 2047 रकबा 0.7588 हे०, आराजी नं. 2236/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.9476 हे० व खाता सं. 15 मे अंकित आराजी नं. 2056 मे रकबा 0.0379 हे० एंव खाता सं. 59 मे अंकित आराजी नं. 2236 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे अंकित खातेदार के नाम उदयलाल के बजाय उदा लाल गाडरी व प्यारचन्द के बजाय प्यारालाल गाडरी एंव मगनीराम के बजाय मगना लाल गाडरी राजस्व रेकार्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। प्रतिलिपि की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा